

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: आदेश ::-

शासकीय आदेश क्रमांक : प.1(1) चिस्वा/ग्रुप-2/2020 जयपुर, दिनांक: 22.03.2020 के अनुसरण में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/साप्र/बी-2/विविध /4418/68/276 दिनांक :22.03.2020 द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन संचालित समस्त कार्यालय, सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं, छात्रावास एवं अन्य संस्थान दिनांक : 31.03.2020 तक पूर्णतः बन्द रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त आदेश में गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों/कार्मिकों के लिए भी संस्था में उपस्थित न होकर Work From Home की स्थिति में रहने के आदेश जारी किए गए हैं।

उल्लिखित आदेश दिनांक :22.03.2020 के अनुक्रम में स्कूल शिक्षा (माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग से मान्यता प्राप्त राज्य की समस्त गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के प्रबंधन को निर्देशित एवं पाबन्द किया जाता है कि उक्त बन्द अवधि के दौरान किसी भी कार्मिक के वेतन में से कटौती/कमी नहीं की जाए।

उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति पाए जाने पर संबंधित जिला कलेक्टर/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)- प्रारम्भिक/माध्यमिक को शिकायत की जा सकेगी। शिकायत की पुष्टि होने पर संबंधित गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था के विरुद्ध राजस्थान "गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम-1993" के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा।



(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com


क्रमांक:- शिविरा-मा/पीएसपी/शिकायत/वेतन/2019-20

दिनांक:-26.03.2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलेक्टर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारम्भिक/माध्यमिक।
8. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
11. उपनिदेशक (आरटीई), प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
12. संस्था सचिव/प्रबंधक, गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (समस्त राजस्थान) को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर